बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

।। अधिसूचना ।।

अधि0 सं0–सं0का0–1/वि0मं0(महानुभाव)08–06/2024–........./पटना, दिनांक–............. 2026

बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम–3 के आलोक में श्री कृष्ण कुमार ऋषि, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा को संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सं0–535, दिनांक–20.05.2026 द्वारा दिनांक–15.05.2026 के प्रभाव से राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदत्त हैं। फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 2(ट) तथा नियम 3(ङ) से इन्हें उक्त दर्जा के अनुरूप निजी स्टाफ की सुविधा प्राप्त है।

2. . बिहार (मंत्रियों के वेतन और भते) अधिनियम, 2006 के धारा 2(ख) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम 18 से निर्धारित अनुसूची–1 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0–288, दिनांक 23.06.2014 द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री को सरकारी एवं बाह्य सेवा के निजी कर्मचारी की सुविधा अलग–अलग प्रावधानित की गयी है।

3. उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में श्री कृष्ण कुमार ऋषि, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा द्वारा राजपत्रित पदाधिकारी के श्रेणी में श्री संजय कुमार, बि0स0से0, कोटि क्रमांक–99/26, उप सचिव, सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना को अपने आप्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु उनके पत्रांक–208/पटना, दिनांक–25.05.2026 द्वारा इस स्वघोषणा के साथ सूचना दी गयी है कि वे उनके सगे–संबंधी नहीं है। उपर्युक्त अनुशंसा के आधार पर उक्त पदाधिकारी की सेवा आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध कराने हेतु इस विभाग के पत्रांक–589, दिनांक–29.05.2026 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया था।

4. उपरोक्त के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–10120, दिनांक–08.06.2026 द्वारा श्री संजय कुमार, बि0स0से0, कोटि क्रमांक–99/26, उप सचिव, सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना को श्री कृष्ण कुमार ऋषि, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव (राजपत्रित) के पद पर कार्य करने हेतु सेवा सौंप दिया गया है। तदनुसार इनकी सेवाएं महानुभाव के आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार विधान सभा सचिवालय को सौंपने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है। इनकी सेवा इस अधिसूचना के निर्गत होने के पश्चात् योगदान की तिथि से उक्त महानुभाव के कार्यकाल तक बनी रहेगी। परन्तु महानुभाव के द्वारा उसके पहले भी किसी भी तिथि से इनकी सेवा समाप्त कर पैतृक विभाग को वापस किया जा सकता है। सेवा समाप्ति के बाद वे अपने पैतृक विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

5. श्री संजय कुमार, आप्त सचिव के वेतनादि का भुगतान बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतियां सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– सं0का0–1 / वि0मं0(महानुभाव)08–06 / 2024–........ / पटना, दिनांक–............ 2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना, अवर सचिव, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, (वित्त विभाग) पटना, प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना, लेखा–शाखा, बिहार विधान सभा, श्री कृष्ण कुमार ऋषि, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा एवं श्री संजय कुमार, आप्त सचिव (राजपत्रित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– सं0का0–1 / वि0मं0(महानुभाव)08–06 / 2024–........ / पटना, दिनांक–............ 2026

प्रतिलिपि–अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–10120, दिनांक–08.06.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– सं0का0–1 / वि0मं0(महानुभाव)08–06 / 2024–669 / पटना, दिनांक–16.06. 2026

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

16/06/2026

सरकार के अपर सचिव।

D:\Drive D\STANDARD FORMAT OF NOTIFICATION AND OFFICE ORDER\Format C FINAL_Govt PS Notification_FAIR COPY(03-09)G-1.doc